

# लोककथाओं की विशेषताएँ

डॉ राम मेहर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर), हिन्दी विभाग  
छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने लोककथाओं की विशिष्टताओं को निम्नांकित आठ भागों में विभक्त किया है:-। (21)

- (1) प्रेम का अभिन्न पुट।
- (2) अश्लील श्रृंगार का अभाव।
- (3) मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचर्य।
- (4) मंगल कामना की भावना।
- (5) संयोग में कथाओं का अन्त।
- (6) रहस्य रोमांच एवं अलौकिकता की प्रधानता।
- (7) उत्सुकता की भावना।
- (8) वर्णन की स्वाभाविकता।

(1) प्रेम का अभिन्न पुट :-

लोककथाओं में प्रेम का अभिन्न पुट पाया जाता है। इन लोककथाओं में प्रेम का वर्णन स्वाभाविक रूप में हुआ है। प्रेम के कई रूपां का चित्रण इन कथाओं में मिलता है। कहीं माता-पुत्री का वात्सल्य वर्णन है तो कहीं भाई-बहन का पवित्र प्रेम। माँ तथा बेटे का भी वात्सल्य -प्रेम इन कथाओं में सहज एवं सरल रूप में हुआ है। पति -पत्नी का भी पवित्र तथा विलास-रहित प्रेम इन कथाओं में अलौकिक एवं आदर्श रूप में चित्रित हुआ है। प्रेममार्गी कवियों की प्रेमगथाएँ इसी आधार -शिला पर टिकी हैं। इस प्रकार इन कथाओं में प्रेम का वर्णन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके साथ ही साथ ये प्रेम- वर्णन अपने में एक आदर्श है।

(2) अश्लीलता का अभाव :-

आदर्श एवं अलौकिक प्रेम के कारण इन कथाओं में कहीं भी अश्लील एवं कुत्सित प्रेम के दर्शन नहीं होते। कहीं भी मन की घुटन, दमित-वासनाएँ, विलास-प्रिय प्रेम इन कथाओं का वर्णय-विषय नहीं बन पाया। न तो कहीं सौदर्य लोभ है और न कहीं काम-लिप्सा। डा० उपाध्याय के अनुसार गामीणों द्वारा गढ़ी गई होने पर भी इन कथाओं में कहीं भी ग्राम्यता नहीं आने पाई। प्रेम का भदा प्रदर्शन जो आधुनिक कहानियों की विशेषता है, लोककथाओं में उपलब्ध नहीं होता।

(3) मूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचर्य :-

लोककथाओं में मानव-जीवन की मूल प्रवृत्तियों से निरन्तर साहचर्य स्थापित किया गया है। डा० उपाध्याय का मूल प्रवृत्तियों से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो मानव के जीवन में अन्य-व्यतिरेक से अनुस्यूत है। सुवा-दुःख, आशा-निराशा, काम, क्रोध, मद, लोभ, एषणा आदि ऐसी ही प्रवृत्तियाँ हैं जो सदा से बनी रही हैं और बनी रहेगी। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का वर्णन इन कहानियों में उपलब्ध होता है। आधुनिक कहानियाँ क्षणिक घटना को लक्षित कर लिखी जाती है अतः उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। लोककथाएँ विशेष घटना या पात्र को लेकर नहीं लिखी जातीं, जीवन की मूल प्रवृत्तियों को लेकर लिखी जाती है। इन कथाओं की घटनाओं में एक शाश्वत सत्य रहता है। 'मानिकचन्द' की कथा में भाग्य-परिवर्तन को सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है।

(4) मंगल - कामना की भावना :-

इन कथाओं की प्रधान विशेषता मंगल -कामना की भावना है। इन कथाओं में यह विशेष बात होती है कि इनमें संसार के कल्याण की भावना निहित रहती है। इन कथाओं का कथाकार लोक में शांति की कामना करता है। संसार में सभी को सुखी देखना चाहता है। उसकी यही अभिलाषा है।



© iJRPS International Journal for Research Publication & Seminar

## (5) सुख और संयोग मे कथाओं का अन्त :-

लोककथाओं का अन्त सुखान्त होता है दुखान्त नहीं। संयोग में ही कहानी समाप्त होती है वियोग में नहीं। इन कथाओं में सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, आशा-निराशा, हानि-लाभ सभी कुछ वर्णय-विषय के रूप में आए हैं परन्तु अन्त सदैव सुखान्त ही रहा है। कथा का प्रारम्भ, विकास चरमसीमा भले ही आपत्तियों, निराशा तथा दुःख से भरा हुआ क्यों न हो परन्तु उसका अन्त सुखान्त ही होता है। सारी विपत्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं और नायक का माग प्रशस्त एवं सुखमय होता चला जाता है। भारतीय जन-जीवन कुछ ऐसा हो चला है कि उसके मन में जीवन के दुखमय अन्त का चित्र कभी नहीं आ सकता। अतः भारतीय साहित्य (नाटक, आख्याधिका आदि) सुखान्त हैं दुखान्त नहीं। यही स्थिति लोककथाओं की भी है। प्रायः लोककथाओं के अन्त में यह वाक्य लिखा मिलता है।

“जैसे उसके सुख के द्विं लौटे वैसे सभी के लौटे।”

## (6) अलौकिकता की प्रधानता :-

कुछ लोककथाओं में अलौकिक की प्रधानता होती है। इन कथाओं का वर्णय-विषय भूत-प्रेत, परी-दानव, अतिमानवीय शक्तियों से सम्बन्धित रहस्य-रोमांच से पूर्ण रहता है। ऐसी कथाएँ पाठकों के आकर्षण तथा मनोरंजन का कारण बन जाती हैं। इन्ही कथाओं के अन्तर्गत वीर राजाओं के अनुभूति प्राक्रम तथा अलौकिक वीरता के दर्शन भी होते हैं। साधारण लोग ऐसी कथाओं को बड़े आनन्द के साथ सुनते हैं।

## (7) उत्सुकता की भावना :-

इन कथाओं की प्रधान विशेषता कथा में उत्सुकता बनाए रखने के लिए कथाओं में कौतूहल या जिज्ञासा (नेचमरेम) का होना आवश्यक है। जिन कथाओं में ऐसा नहीं होता, उनमें आकर्षण भी उत्पत्र, नहीं हो पाता। कथानक के आगे के अंश को सुनने की जिज्ञासा ही ‘सप्सेन्स’ कहलाती है। ऐसा विशेषकर रूप-कथाओं में ही देखने को मिलता है। बार-बार श्रोता यह जानने को ही उत्सुक रहता है कि आगे क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ?

## (8) वर्णन की स्वाभाविकता :-

यह लोककथाओं की प्रधान विशेषता है। घटना का उसी में यथार्थ वर्णन लोककथाओं का प्रधान लक्षण माना जाता है। इसमें कल्पना या अतिशयोक्ति का वर्णन नहीं मिलता। इन कथाओं में भारतीय संस्कृति का सच्चा चित्र मिलता है। जहाँ आधुनिक कहानियों में अतिरिक्ता की प्रवृत्ति है वहाँ इन कथाओं में प्रायः इसका अभाव है।

## लोककथाओं की शैली :-

लोककथाओं में अभिव्यक्त मानव-जीवन अत्यन्त ही सरल और सादा चित्रित किया गया है। क्योंकि आदिम जन-जातियों तथा समाज लोक का जीवन अकृत्रिम और स्वाभाविक है। यही स्वाभाविकता लोककथाओं की प्रधान विशेषता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं में अतिरिक्ता की प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई देती। अतः लोककथाओं की भाषा तथा शैली भी अत्यन्त ही सरल और सीधी-सादी है। वाक्य प्रायः छोटे-छोटे तथा भावपूर्ण हैं। मिश्र वाक्यों का इनमें अभाव है। भाषा का शब्दाडम्बर, आलंकारिक चमत्कार तथा पंडित्य इन कथाओं में नहीं मिलता। सहजता इन कथाओं की शैली का प्राथमिक गुण है। शब्द-विधान भी सहज और स्वाभाविक है। अनगढ़ भौंडे तथा किलष्ट शब्दों की योजना का इन कथाओं में अभाव है। भाषा विषानुकूल है। विषय जितना स्वाभाविक है शैली भी उतनी ही स्वाभाविक है। जैसे “एक राजा था। उसके सात लड़के थे। सातों बड़े वीर थे।” इत्यादि। इन कथाओं के सम्बन्ध में डाठो कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है— “ये कथाएँ अवाध गति से प्रवहमान सरिताओं की भाँति हैं जिनमें अवगाहन कर जन का मानस आनन्द लेता है। जिसका जल निर्मल तथा शीतल होने के कारण पान करने वालों को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है।” (22)

लोककथाओं में चम्पूकाव्य की शैली का प्रयोग मिलता है। संस्कृत के आचार्यों ने चम्पू को गद्य-पद्यमय काव्य कहा है। लोककथाओं में भी गद्य-पद्य का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। वैसे लोककथाएँ गद्य में उपलब्ध होती हैं परन्तु उनमें बीच-बीच में पद्यों का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। इस पकार पद्यों का प्रयोग पाठकों तथा श्रोताओं पर स्थायी प्रभाव डालने तथा आकर्षण एवं मनोरंजन को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस प्रकार के गद्य-पद्य के मिश्रण ने त्रिवेणी -संगम की भाँति कथाओं का महत्व एवं प्रभाव अत्यधिक बढ़ा दिया है।

लोककथाओं में संवादशैली का प्रयोग देखने को मिलता है। यह संवाद-शैली प्राचीन उपाख्यानों में उपलब्ध होती है। यम-ममी, उर्वशी-पुरुरवा के आख्यान में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। यह आख्यान गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। इस प्रकार इन कथाओं की शैली का उत्स ये वैदिक उपाख्यान ही हैं।

लोककथाओं में संकेत-शैली तथा लघिमा-शैली का भी कहाँ-कहाँ प्रयोग मिलता है। जादू-टोना, परी-कथा, भूत-प्रेत की कथा तथा पराक्रम की कथाओं में इस लघिमा-शैली का प्रयोग हुआ है। पशु-पक्षी की कथाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। लोककथाओं की शैली व्यावहारिक है। इनमें बोलचाल के तथा दैनिक जीवन में व्यवहार किए जाने वाले शब्दों की ही अधिक योजना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी इन कथाओं में आकर्षण पैदा कर देता है। इनके द्वारा कथन में 'तीव्रता' तथा प्रभाव उत्पन्ना किया जाता है। भाषा में भी एक प्रकार का विशेष बल का जाता है जो श्रोताओं के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ जाता है। कहाँ-कहाँ अलंकारों का भी प्रयोग दर्शनीय है।

शैली तत्त्व की दृष्टि से डा० सत्येन्द्र ने लोककथाओं की निम्नलिखित विशेष बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। (23)

(1) कहानी का आरम्भ - कहानी के विविध रूपान्तरों के आरम्भ की तुलना ही नहीं, विविध क्षेत्रों में कथन शैली की आरम्भिक शब्दावली भी तुलनीय होता है, और अध्ययन योग्य होती है।

(2) कहानी का अन्त - कहानी का अन्त भी आरम्भ की तरह एक चोन लिए रहता है और पथक्-पृथक् क्षेत्रों में अपनी-अपनी विशेषता के साथ रहता है। इनका भी तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है।

(3) कहानी में आवर्तक मुहावरे, वाक्यांश या पद्यांश -कहानी कहते-कहते बीच में कुछ समान शील-स्थलों पर समान शील-शब्दावली उपयोग में आती है। ऐसी समान शील-शब्दावली को एक ही कहानी में अथवा विविध कहानियों में क्षेत्रीय भेद से तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है।

कागद हो ताइ बाँचिये

करम न बाँचों जाइ

जैसी शब्दावली या पद्यांश न जाने कितनी लोककहानियों में आता है, यह तुलनापूर्वक अध्ययन का विषय होगा कि किस कहानी में किस प्रभाव और परिणाम के लिए इसका उपयोग किया गया है।

(4) कहानी में रूप-वर्णनों, प्रकृतिखंडों (वियावान बन-खंड) के वर्णनों तथा अन्य सज्जाओं, बाजारों, स्थानों के वर्णनों की एक परिपाठी होती है, जिनमें विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। इसका अध्ययन भी अपेक्षित है।

(5) लोक-कहानी भी अलंकारों के उपयोग से शून्य नहीं हो सकती। किस प्रकार के उपमानों का उपयोग उसमें हुआ है, यह अध्ययन रोचक और उपयोगी है।

(6) कहानी में मोड़ देने, या सनसनाहट पैदा करने या किसी अनोखी बात को लाने, आदि के लिए कुछ विशेष प्राणाली काम में आने लगती है, इसके अध्ययन से कहानी कहने वाले और कहानी कहने की परम्परा का परिचय मिलता है और कुछ सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी उद्घाटन होता है।

(7) लोककहानी में हिन्दी वस्तुओं तथा पदार्थों के वर्णन की एक विशेष प्रणाली का उपयोग होने लगता है। आभूषणों का वर्णन, घोड़ों का वर्णन, दावतों का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन, तथा ऐसे ही अन्य वर्णन बँधस ढंग में कहानी से कहानी में दुहराए जाते हैं। इनमें केवल 4 की भाँति विशेष शब्दावली की ही दुहराव नहीं होती, वस्तुओं की भी दुहराव होती है।

(8) कथनशैली में कथकड़ के बोलने में जो उतार चढ़ाव होता है वह भी शैलीगत अध्ययन का विषय है। इस अध्ययन के लिए ध्वनि-तात्त्विक प्रयोगशाला के यंत्रों की भी सहायता लेनी होगी।

(9) अपने बोलने या कहानी में कथकड़ किस प्रकार के प्रयोगों से पाठक के भावों को उत्तेजित करते - करते चरम पर ले जाता है यह भी शैली-तत्त्व का ही विषय है।

लोककथा तथा आधुनिक कहानियों में अन्तर :-

यह हम पहले ही बता चुके हैं कि कथा कहने तथा सुनने की प्रवृत्ति उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव-जीवन। मानव प्रारम्भ से ही संसार में घटित होने वाली घटनाओं को जानने की चेष्टा करता रहा है। वह कौतूहल-प्रिय प्राणी है। अतः वह प्रत्येक घटना को जिज्ञासा एवं कौतूहल की दृष्टि से देखता आया है। हमारी लोककथाएँ इसी का परिणाम है। आदिम मानव की यह जिज्ञासा-वृत्ति हमारी में उभकर आई है। इन कथाओं में इतना रस और आकर्षण है कि अद्विकथानक के रचयिता श्री बनारसीदास जैन तो दुकान का सारा कारोबार छोड़कर लोककथाओं (मधुमालती और मृगावती) को ही पढ़ा करते थे-

अब घर में बैठि रहिं, जाहिं न हाट बाजार।

मधुमालती मगावती पोथी दोर्ह उचार॥

यह बात केवल कवि बनारसीदास के लिए ही सत्य नहीं वरन् सभी पाठकों पर चरितार्थ होती है। आज भी लोककथाओं की लोकप्रियता एवं व्यापकता का यही रहस्य है। वास्तव में लोककथा और आधुनिक कहानी में महान् अन्तर है। लोककथा का रचयिता कहानी-कला के सिद्धान्तों से सर्वथा अनभिज्ञ था या यों कहिए उसे कला के रूप और शिल्प-पक्ष की विल्कुल चिन्ता नहीं थी। लोककथाओं में विषय-वस्तु की मनोरंजकता, उसमें अनायास प्रकट होने वाला विनोद और ज्ञान तथा अनुभव की शिक्षा उसकी लोकप्रियता का कारण बन गई है। लोककथा का रचयिता इस बात की भी तनिक चिन्ता नहीं करता था कि उसने क्या कहा और कैसे कहा। परन्तु आधुनिक कथाकार इस प्रकार के शिल्प पर अधिक बल देता है।

लोककथाओं का कथानक विख्यात, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा विशुद्ध काल्पनिक भी होता है बड़े ही सीधे-सादे ढंग से वह अपनी कथा प्रारम्भ करता है। उसका वर्ण्य-विषय प्रायः चन्त धार्मिक तथा राजा-रानी की घटनाओं से सम्बद्ध ही हुआ करता है। सामाजिक वैषय, आर्थिक शोषण तथा दूर रहती है। इनमें एक प्रकार से सुखी समाज का चित्रण होता है। अस्वाभाविक एवं अलौकिक घटनाओं का समावेश अधिक रहता है। ऐसी चमत्कार-पूर्ण घटनाओं के कारण ही इन कथाओं में मनोरंजकता, कौतूहल तथा आकर्षण अधिक रहता है। प्रेम तथा वीरता की भावना की प्रधानता लोककथाओं में रहती है। प्रेम का आदर्श एवं पवित्र रूप अधिक चित्रित किया जाता है। कथाओं में नीति एवं शिक्षा का भी महत्व होता है। प्रायः लोककथाओं का अन्त सुखात्मक होता है। लोककल्याण की भावना भी इनमें निहित रहती है।

आधुनिक कहानियों का कथानक यथार्थ जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध होता है। उसमें काल्पनिक घटनाओं को किसी प्रकार भी स्थान नहीं दिया जाता। आधुनिक कहानियों में समाज का यथार्थ चित्रण रहता है। सामजिक संघर्ष तथा क्रान्ति, आर्थिक-शोषण, राजनैतिक विप्लव आज की कहानियों का मूल विषय है। इन कहानियों में समजा की यथार्थ घटनाएँ ही चित्रित की जाती। मनोरंजन के साथ-साथ इन कहानियों का सामाजिक महत्व भी होता है। इन कहानियों का प्रारम्भ सीधे-सादे ढंग से नहीं होता और न इनका अन्त केवल सुखात्मक होता है। अधिकांश कहानियों का अन्त दुःखात्मक भी होता है। आज की कहानियों में घटनाओं पर अधिक बल नहीं दिया जाता। प्रेम आज की कहानियों का विषय अवश्य होता है परन्तु उनमें पवित्रता के स्थान पर काम-लिप्सा, कुंठा तथा विलास का अधिक चित्रण होता है। अधिकांश लोककथाएँ आकार में छोटी होती हैं। उनकी कथा भी सर्किष्प होती है परन्तु यह शर्त आज भी कहानियों पर लागू नहीं होती।

लोककथाओं के पात्रः ऐजिहासिक या काल्पनिक (राजा रानी) होते हैं। देवी-देवता, सेठ-साहूकार, भूत-प्रेत आदि की भी प्रधानत रहती है। जनसाधारण के पात्र कम ही उपलब्ध होते हैं। पात्रों का रूप-वर्णन या उनका वाह्य-सौन्दर्य ही अधिक चित्रित किया जाता है। इनके पात्र भी प्राय एकसे स्थिर चरित्र वाले होते हैं।

परन्तु आज की कहानियों के पात्र जनसाधारण के पात्र होते हैं और यथार्थ होते हैं। इनका वाह्य रूप-वर्णन अप्रधान रहता है। मन के चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है या यों कहिए पात्रों का मनोविश्लेषण किया जाता है। पात्रों के अन्तर्द्रुकों अधिक महत्व दिया गया है। आज की कहानी के पात्र नित्य परिवर्तनशील, भिन्न-भिन्न चरित्र वाले तथा स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाले होते हैं। वे लोककथाओं के पात्रों की भाँति कठपुतली मात्र नहीं होते। लोककथाओं के अधिकांश पात्र अलौकिक होते हैं परन्तु आज की कहानी ऐसे नहीं।

लोककथाओं में संवाद का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना आज की कहानी का। लोककथाओं में प्राचीन जन-जीवन का सरल और स्वभाविक चित्रण होता है अतः संवदों में भी उतना ही सरलता एवं स्वाभाविक मिलती है। परन्तु आज की कहानी में संवाद पात्र के मन की स्थिति को प्रकट करने वाले साधन बन गए हैं। कथा तथा चरित्रों को विकास देने के लिए भी संवाद का निर्माण आज की कहानी में किया जाता है। ये संवाद मन की गुणित्यों को सुलभाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः ये अस्पष्ट, क्लिष्ट तथा सांकेतिक होते हैं।

लोककथाओं की भाषा-शैली भी सरल, स्वाभाविक एवं सीधे-सादी होती है। इन कथाओं की शैली स्थूल, इतिवृत्तात्मक और वर्णनात्मक होती है। कहानियों का प्रारम्भ सीधे-सादे वाक्यों से होता है जैसे - 'एक राजा था उसकी सात रानियाँ थीं। परन्तु आधुनिक कहानियों का प्रारम्भ किया गया है। लोककथाओं की कथा प्रायः अन्य-पुरुष शैली में होती है जब कि आज की कहानी उत्तम पुरुष 'मै' की शैली में भी लिखी जाती है। लोककथाओं की भाषा भी सरल और सहज होती है। वाक्य छोटे-छोटे तथा भावपूर्ण होते हैं। परन्तु आज की कहानियों की भाषा आडम्बरपूर्ण, कृत्रिम तथा क्लिष्ट होती है। सभ्य समाज की होने के कारण तथा अभिजात वर्ग की होने के कारण उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। वाक्य भी बड़े-बड़े होते हैं। मन की उलझी गुणित्यों के कारण भाषा में भी उलझाव पाया जाता है।

लोककथाओं में आदिम सरल व सादा जनजीवन का चित्रण मिलता है। अन्ध-विश्वास, जादू-टोना, मंत्र आदि ये युक्त वातवारण ही अधिक चित्रित किया गया है। लोककथाओं में प्रायः ऐतिहासिक तथा समंतकालीन जन-जीवन के साथ ग्रामीण जनजीवन को भी प्रस्तुत किया गया है। परन्तु आज की कहानी में आधुनिकयुगीन नई चेतना तथा वातावरण को चित्रण करने का अधिक प्रयास किया गया है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक गतिविधियों को ही अधिक दर्शाय गया है।

लोककथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। साथ-साथ नीजि सम्बन्धी शिक्षाएँ भी लोककथाओं में दो गई हैं। परन्तु आधुनिक कहानी में मनोरंजन के साथ समाज की विषमताएँ भी चित्रित की गई हैं। मानवमन की दुर्बलता मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण के द्वारा सुलभाई गई है।

वास्तव में लोककथा आदर्शवादी है तो आज की कहानी यथार्थवादी। लोककथाओं में अतिमानवीय तथा अलौकिक शक्तियों को अधिक प्रदर्शित किया जाता है। लोककथा का कोई रचयिता नहीं होता। वह अपनी मौखिक परम्परा में ही जीवित है। परन्तु आधुनिक कहानी का रचयिता होता है और उसका लिखित रूप भी होता है। यदपि लिखित रूप लोककथाओं का भी स्वीकार किया गया है परन्तु अधिकांश रूप में वह मौखिक परम्परा के रूप में ही जिन्दा है। लोककथाओं में आदिम असभ्य जीवन को स्थान दिया गया है जब कि आज की कहानी में सुसभ्य, अभिजात तथा सुसंकृत वर्ग - चेतना पर अधिक बल दिया गया है। बस, यही अन्तर लोककथा और आधुनिक कहानी में है।

## सन्दर्भ

42. राजस्थानी लोकगीत -पृ० 1
43. जनपद (अंक 2)- पृ० 66
44. रढ़ियाली रात (भाग 1)-परिचय -पृ० 5-6
45. भारतीय लोकसाहित्य-श्याम परमार -पृ० 73
46. जनपद (त्रैमासिक) खंड 2, अंक 2. पृ० 63-67
47. लोकसाहित्य विज्ञान-पृ० 393
48. लोकसाहित्य विज्ञान - पृ० 394
49. कविता-कौमुदी-भाग पाँच - पृ० 45
50. भारतीय लोकसाहित्य -पृ० 64-65
51. राजस्थानी लोकगीत - पृ० 22-25
52. ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन पृ० 118-393 तक

53. लोकसाहित्य विज्ञान पृ० 400-404 तक
54. जन्म के गीतों का डा० सत्येन्द्र ने और भी अधिक विस्तार से वर्णकरण किया है।  
विस्तार: भय उसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है। विस्तुत अध्ययन के लिए देखिये-  
लोकसाहित्य विज्ञान - पृ० 400 - 404
55. भारतीय लोकसाहित्य - पृ० 64